

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(8)/एफ.डी./रूज/2010 दिनांक-23.04.12 के प्रावधानान्तर्गत महात्मा गांधी राजकीय शिक्षा विद्यालय, बांसवाड़ा के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बांसवाड़ा की अनुशांता के आधार पर श्रीमती बृजेश्वरी जैन, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, परतापुर (बांसवाड़ा) को दिनांक-18.02.2020 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकास्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपयोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020/22 दिनांक-04/03/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बांसवाड़ा
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4-प्रधानाचार्य, राबाउमावि, परतापुर (बांसवाड़ा) को श्रीमती बृजेश्वरी जैन, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्रीमती बृजेश्वरी जैन, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, परतापुर (बांसवाड़ा)
- 6-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर श्री संजयपाल, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, मण्डी, जोधपुर को दिनांक-18.02.2020 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता रवीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का शीमावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


आज्ञा से
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020/23

दिनांक- 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, मण्डी, जोधपुर को श्री संजयपाल, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्री संजयपाल, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मण्डी, जोधपुर
- 6-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूत्ता/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानानुसार जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, धरियावद जिला प्रतापगढ़ की अनुशंसा के आधार पर श्री कालूराम मीणा, व्याख्याता (हिन्दी) राआउमावि, वजपुरा-धरियावद (प्रतापगढ़) को दिनांक- 11.02.2020 से उनके मूल पेटन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपयोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018 /333 दिनांक- 04/03/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, धरियावद जिला प्रतापगढ़
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राआउमावि, वजपुरा-धरियावद (प्रतापगढ़) को श्री कालूराम मीणा, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्री कालूराम मीणा, व्याख्याता (हिन्दी) राआउमावि, वजपुरा-धरियावद (प्रतापगढ़)
- 6-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर